तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम... अहका... हुक्म की ... में जारी हु...
	28.08.2018 पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण नियत शिविर में अनुपस्थित। वादी यानि राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा ने यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट बाबत सहखातेदारान के हिस्सों के सही विभक्तीकरण करा, घोषणात्मक डिक्री चाहने अनुतोष आशय से यह राजस्व वाद पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली वादी पक्ष को प्रस्तुत करने विपक्षीगणों के सम्मन प्रोसस हेतु नियत है, किन्तु वादी पक्ष से इस पूर्ति के लिए आज कोई हाजिर नही है। विधिवत तीन मर्तबा आवाजे लगाये जाने के उपरान्त भी राज्य पक्ष की और से पेरोकार उपस्थित नही आये, प्रकरण को आगे विधिवत चलाये जाने में इस प्रकार की पूर्ति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, जो कि वादी पक्ष के द्वारा ही की जाती है। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	